उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्याः-29/2020/721/86-2020-165/14टी0सी

लखनऊ दिनांक 06 मई, 2020

कार्यालय आदेश

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक भू-भौतिकविद् पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव, ग्रा0-हरदी,पो0-जमुई पण्डित, जिला-महराजगंज, उ0प्र0-273207 रजिस्ट्रेशन संख्या-53100076701 को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया है।

2- अतएव उक्त चयनित अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव को श्रेणी-ख के अन्तर्गत वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 5400/-में सहायक भू-भौतिकविद के पद पर निम्न शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में तैनात किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते है:-

1. उक्त अभ्यर्थी श्री दीपेन्द्र यादव, सहायक भू-भौतिकविद के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।
2. इनकी सेवा शर्ते शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।
3. इनको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, देय होगे।
4. उ0प्र0 अस्थायी स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
5. श्री दीपेन्द्र यादव अपनी योगदान आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. श्री दीपेन्द्र यादव एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
7. तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
   (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
   (2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   (3) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   (4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
   (5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ पत्र।
9. इन सहायक भू-भौतिकविद की पारस्परिक ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

डा0 रोशन जैकब

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 721 (1)/86-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज (इलाहाबाद) ।

2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-539/03/ डी0आर0/एस-6/2017-18 दिनांक 11.10.2019 के संदर्भ में।

3- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज (इलाहाबाद) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

4- निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया सहायक भू-भौतिकविद के पद पर नियुक्त श्री दीपेन्द्र यादव को प्रस्तर-8 में उल्लिखित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर उक्त से अपेक्षित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्राप्त कर इनका योगदान कराये और योगदान रिपोर्ट शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करे।

5- मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।

6- श्री दीपेन्द्र यादव पुत्र श्री रामप्रीत यादव, ग्रा0-हरदी,पो0-जमुई पण्डित, जिला- महराजगंज, उ0प्र0-273207 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
अनु सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in